



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-24092026-276454
CG-DL-W-24092026-276454

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 32] नई दिल्ली, सितम्बर 6—सितम्बर 12, 2026, शनिवार/ भाद्र 15—भाद्र 21, 1948
No. 32] NEW DELHI, SEPTEMBER 6—SEPTEMBER 12, 2026, SATURDAY/BHADRA 15—BHADRA 21, 1948

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2026

सा.का.नि. 160.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आर्थिक कार्य विभाग, स्टाफ कार चालक समूह 'ग' नियम, 1989 का, उन बातों के सिवाय, अधिक्रमण करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप कर दिया गया है, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में स्टाफ कार चालक ग्रेड (सामान्य ग्रेड), स्टाफ कार चालक ग्रेड II और स्टाफ कार चालक ग्रेड I पदों की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, स्टाफ कार चालक ग्रेड (सामान्य ग्रेड), स्टाफ कार चालक ग्रेड II और स्टाफ कार चालक ग्रेड I भर्ती नियम, 2026 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**- ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के कॉलम (2) से कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षणिक अर्हताएं आदि.**- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से कॉलम (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. **निरर्हता.**- ऐसा व्यक्ति,-
 - (i) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या
 - (ii) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**-- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति.**-- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद या गैर-चयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1.) स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड)।	3* (2026) (* कार्यभार के आधार पर विविधता के अध्यक्षीन)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' गैर-राजपत्रि, अन-अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 2 (19900-63200 रुपये)।	लागू नहीं।

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	पदोन्नतियों के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता लागू होगी या नहीं?
(6)	(7)	(8)
18 से 27 वर्ष की आयु के बीच (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार विभागीय उम्मीदवारों के लिए चालीस वर्ष तक छूट)। नोट: आयु-सीमा निर्धारित करने की	आवश्यक: i. मोटर कारों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त हो; ii. मोटर तंत्र का ज्ञान (उम्मीदवार के पास वाहन में मामूली दोषों को दूर करने में योग्यता होनी)	लागू नहीं।

महत्वपूर्ण तिथि उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहौल और स्पीति जिले और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी उप-मंडल और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के लिए अंतिम तिथि निर्धारित नहीं होगी।	चाहिए); iii. कम से कम तीन साल तक मोटर कार चलाने का अनुभव; तथा iv. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 वीं कक्षा पास हो। वांछनीय: होमगार्ड या सिविल स्वयंसेवक के रूप में तीन साल की सेवा। टिप्पणी 1: अगर कोई उम्मीदवार अन्यथा अच्छी योग्यता रखता है, तो सक्षम प्राधिकारी अपनी समझ से लिखित में कारण बताते हुए योग्यता संबंधी शर्तों में छूट दे सकते हैं। टिप्पणी 2: अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में अनुभव से जुड़ी योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी अपनी समझ से कारण बताते हुए छूट दे सकते हैं। ऐसा तब किया जा सकता है जब चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में सक्षम प्राधिकारी को यह लगे कि इन समुदायों के ऐसे उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या मिलने की संभावना नहीं है, जिनके पास जरूरी अनुभव हो और जो उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भर सकें।	
--	---	--

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की विधि चाहे सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिससे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है।
(9)	(10)	(11)
सीधी भर्ती किए गए या पुनः भर्ती के लिए दो साल।	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा जिसके न होने पर, सीधी भर्ती द्वारा। सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति या पुनः नियुक्ति द्वारा।	प्रतिनियुक्ति/आमेलन: इस विभाग में पे मैट्रिक्स (18000-56900 रुपये) में लेवल-1 में नियमित डिस्पैच राइडर (समूह 'ग') और समूह 'ग' कर्मचारियों में से, जिनके पास मोटर कार चलाने की क्षमता का आकलन करने के लिए ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर मोटर कारों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, जिसके न होने पर केन्द्र सरकार के नियमित आधार पर डिस्पैच राइडर के पद पर आसीन अधिकारियों या वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रुपये) में लेवल-1 में नियमित समूह ग कर्मचारी हैं जो कॉलम (7) में उल्लिखित आवश्यक योग्यताओं को पूरा करते हों। सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति या पुनः नियुक्ति: सशस्त्र बलों के उन कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो सेवानिवृत्त हैं या जिन्हें एक वर्ष की अवधि के भीतर रिजर्व में स्थानांतरित किया जाना है।

	और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और योग्यता निर्धारित है, उन पर भी विचार किया जाएगा और ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति की शर्तें दी जाएंगी जिस दिन वे सशस्त्र बलों से रिहाई के लिए देय हैं; इसके बाद उन्हें पुनः नियुक्ति के आधार पर जारी रखा जा सकता है। नोट 1: उसी या किसी अन्य संगठन या केंद्र सरकार के विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले आयोजित किसी अन्य पूर्व-कैंडर पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा या आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के अनुसार आमेसन 'छप्पन वर्ष से अधिक नहीं' होगा।
--	--

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है।	जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग भर्ती करने में परामर्श किया जाना है।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं: - - निदेशक या उप सचिव (प्रशासन), आर्थिक कार्य विभाग - अध्यक्ष; - अवर सचिव (एकीकृत वित्त प्रभाग), आर्थिक कार्य विभाग - सदस्य; - अवर सचिव (संवर्ग प्रशासन अनुभाग), व्यय विभाग - सदस्य; - अवर सचिव (प्रशासन), आर्थिक कार्य विभाग - सदस्य।	लागू नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(2.) स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड II।	3* (2026) (*कार्यभार के आधार पर विविधता के अध्यधीन)	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अन-अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-4 (रु.25500-81100).	गैर-चयन।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं।	पदोन्नति द्वारा।	पदोन्नति: वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रुपये) में लेवल-2 में स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण ग्रेड) के ग्रेड में आठ साल की नियमित सेवा के साथ और केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ट्रेड टेस्ट पास किया हो।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं: - - निदेशक या उप सचिव (प्रशासन), आर्थिक कार्य विभाग - अध्यक्ष; - अवर सचिव (एकीकृत वित्त प्रभाग), आर्थिक कार्य विभाग - सदस्य; - अवर सचिव (कैंडर प्रशासन	लागू नहीं।

			अनुभाग), 4. अवर सचिव (प्रशासन), आर्थिक कार्य विभाग – सदस्य।	
--	--	--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(3.) स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड II।	4* (2026) (*कार्यभार के आधार पर विविधता के अध्यधीन)	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अन-अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (रु. 29200-92300) में लेवल-5	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।

(9)	(10)	(11)
लागू नहीं।	पदोन्नति द्वारा।	पदोन्नति: वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपये) में लेवल-4 में स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड II में ग्रेड में पांच साल की नियमित सेवा के साथ या स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड-II और स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण ग्रेड) में तेरह साल की संयुक्त सेवा के साथ; और केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण किया हो। नोट: जहां अपनी योग्यता या पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठ को पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि वे ऐसी योग्यता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो, अपेक्षित योग्यता या पात्रता सेवा से कम न हों, और अपने कनिष्ठों जिन्होंने पहले ही इस तरह की योग्यता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं: - - निदेशक या उप सचिव (प्रशासन), आर्थिक कार्य विभाग - अध्यक्ष; - अवर सचिव (एकीकृत वित्त प्रभाग), आर्थिक कार्य विभाग - सदस्य; - अवर सचिव (संवर्ग प्रशासन अनुभाग), व्यय विभाग - सदस्य; - अवर सचिव (प्रशासन), आर्थिक कार्य विभाग - सदस्य -सचिव।	लागू नहीं।

[फा. सं. ए-12011/01/2025-प्रशासन.]

आलोक कुमार तिवारी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2026

G.S.R. 160.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Economic Affairs, Staff Car Driver Group 'C', Recruitment Rule, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Staff Car Driver Grade (Ordinary Grade), Staff Car Driver Grade II and Staff Car Driver Grade I, in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, namely:

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Staff Car Driver Grade (Ordinary Grade), Staff Car Driver Grade II and Staff Car Driver Grade I, Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Application.** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification, level in pay matrix.** – The number of the said posts, their classification, level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.** – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualifications.** – No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection posts or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1.) Staff Car Driver (Ordinary Grade).	3* (2026) (* Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level – 2 in the pay matrix (Rs.19900-63200).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(6)	(7)	(8)
Between 18 and 27 years of age (Relaxable for departmental candidates upto forty years in accordance with the instructions)	Essential: (i) possession of a valid driving license for motor cars; (ii) knowledge of Motor Mechanism (the	Not applicable.

or orders issued by Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and Union territories of Ladakh, Anadaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	candidate shall need to possess the ability able to remove minor-defects in vehicle); (iii) experience of driving a motor car for at least three years; and (iv) 10th class pass from a recognised Board. Desirable: Three years' service as Home Guard or Civil Volunteers. Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority for reason to be recorded in writing, in the case of candidate otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority for reason to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	
--	--	--

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruits or re-employed.	By deputation/ absorption failing which, by direct recruitment. For Armed Forces Personnel: By deputation or re-employment.	Deputation/ absorption: From amongst the regular Dispatch Rider (Group 'C') and Group 'C' employees in level-1 in the pay matrix (Rs.18000-56900) in this Department, who possess valid Driving License for Motor Cars on the basis of a Driving Test to assess the competence to drive Motor Cars failing which, from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group C employees in level-1 in the pay matrix (Rs.18000-56900) in other Ministries of the Central Government who fulfil the necessary qualifications as mentioned in column (7). Deputation or re-employment for Armed Forces Personnel: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered and such persons shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment basis. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation or absorption shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Director or Deputy Secretary (Administration), Department of Economic Affairs – Chairperson; 2. Under Secretary (Integrated Finance Division), Department of Economic Affairs – Member; 3. Under Secretary (Cadre Administration Section), Department of Expenditure – Member; 4. Under Secretary (Administration), Department of Economic Affairs – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(2.) Staff Car Driver Grade II.	3* (2026) (* <i>Subject to variation dependent on workload</i>).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100).	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	By promotion.	Promotion: From amongst the Staff Car Driver (Ordinary Grade) in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) with eight years of regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Central Government.	Group 'C' Departmental confirmation Committee (for considering promotion) consisting of: - 1. Director or Deputy Secretary (Administration), Department of Economic Affairs – Chairperson; 2. Under Secretary (Integrated Finance Division), Department of Economic Affairs – Member; 3. Under Secretary (Cadre Administration Section), Department of Expenditure – Member; 4. Under Secretary (Administration), Department of Economic Affairs – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(3.) Staff Car Driver Grade I.	4* (2026) (* <i>Subject to variation dependent on workload</i>).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300).	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	By promotion.	Promotion: From amongst the Staff Car Driver Grade II in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with five years of regular service in the grade or with a combined service of thirteen years in Staff Car Driver Grade II and Staff Car Driver (Ordinary Grade); and have passed the trade test, specified by the Central Government. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'C' Departmental confirmation Committee (for considering promotion) consisting of: - 1. Director or Deputy Secretary (Administration), Department of Economic Affairs – Chairperson; 2. Under Secretary (Integrated Finance Division), Department of Economic Affairs – Member; 3. Under Secretary (Cadre Administration Section), Department of Expenditure – Member; 4. Under Secretary (Administration), Department of Economic Affairs – Member-Secretary.	Not applicable.

[F. No. A-12011/01/2025-Admn.I]

ALOK KUMAR TIWARI, Under Secy.